निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 40/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. प्रभू दयाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम गठवाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर ।
2. शैलेन्द्र शर्मा पुत्र श्री ना मालुम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गठवाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
3. श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री शंकर लाल मीणा जाति मीणा, निवासी ग्राम प्लाट नं॰ 20, 21 जे॰ पी॰ कालोनी, टौक फाटक, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 80/2016 ब उनवानी प्रभू दयाल बनाम शैलेन्द्र शर्मा को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री प्रेम प्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से ।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

निर्णय दिनांक 28.07.2020

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 80/2016 ब उनवानी प्रभू दयाल बनाम शैलेन्द्र शर्मा विचाराधीन है। प्रार्थी अन्य कार्य से उपखण्ड न्यायालय में गया हुआ था, तब अप्रार्थी संख्या 1 व 3 शीला मीणा के पति शंकर लाल मीणा को दिनांक 27.06.2020 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठा देखा। पीठासीन अधिकारी की टेबिल पर उक्त पत्रावली प्रभू दयाल बनाम शैलेन्द्र की रखी हुई थी। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ व शंकर लाल मीणा एवं शैलेन्द्र शर्मा आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कुछ समय पश्चात शंकर लाल मीणा रीडर से आकर मिला और कहा कि उक्त पत्रावली में लम्बी तारीख पडने से परेशान मत हो। आप अपने अधिवक्ता से शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र लगवा देना, तो मै स्टे को खारिज करवा दूंगा। तब प्रार्थी को यह साफ जाहिर हो गया कि पीठासीन अधिकारी विपक्षीगण से पूर्णत मिला हुआ है और उनका स्टे खारिज करेगा, प्रार्थी को यह

जिला कलक्टर
जयपुर

विश्वास हो गया है। अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के व्यवहार से स्पष्ट तौर से जाहिर हो चुका है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रार्थी को पूर्व में धमकी अपने पक्ष में मुकदमें का फैसला करने की दी थी, वो सही थी। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी अवस्था में मामले को किसी अन्य उपखण्ड न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रघुवीर सिंह राठौड ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार उक्त प्रकरण दिनांक 24.12.2019 को सहायक कलक्टर जमवारामगढ से स्थानान्तरित होकर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के न्यायालय में आया है। यद्यपि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी के अधिवक्ता भी प्रकरण का अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

5. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण 80/2016 व उनवानी प्रभू दयाल बनाम शैलेन्द्र शर्मा व इससे संबंधित मूल पत्रावली को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में मुन्तकिल किया जाता है।

6. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण दर्ज कर उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम एवं जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 28.07.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

28/7/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर